तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गौरी शंकर मालू बनाम लोक सूचना अधिकारी (अति संभागीय आयुक्त), जयपुर **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/31**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.02.2025	पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी पत्रांक एफ 19(1)(62) आरटीई/प्रथम अपील/05879/2024/47 दिनांक 06.02.2025 प्राप्त। जिसमें उन्होनें अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आर.टी.आई आवेदन इस कार्यालय में दिनांक 06.12.2024 को प्राप्त हुआ है। भू–अभिलेख शाखा द्वारा उपलब्ध करवाई गये पत्र क्रमांक 199 दिनांक 16.05.2024 एवं क्रमांक 494 दिनांक 12.12.2024 की प्रमाणित प्रतियाँ इस कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 700 दिनांक 16.12.2024 के माध्यम से आवेदक श्री गौरीशंकर मालू को भिजवाई जा चुकी है। अतः अपील खारिज कराने का श्रम करावें । हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया। जिससे जाहिर है कि अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन के संदर्भ में कार्यालय के पत्रांक 700 दिनांक 16.12.2024 द्वारा अपीलार्थी/आवेदक श्री गौरीशंकर मालू को कार्यालय में उपलब्ध कुल 02 पृष्ठ की सूचना की प्रमाणित प्रतियाँ भिजवाई जा चुकी है। अगर प्रार्थी अन्य कोई सूचना चाहता है तो वह पृथक से आवेदन कर प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवायी जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया । (पूनम) संभागीय आयुक्त, जयपुर	